

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 39/2019-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 अगस्त, 2019

सा.का. नि. ....(अ) - केंद्रीय सरकार, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 103 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

(फा.सं. 20/06/12/2018-जीएसटी)

(रुचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार